माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 09.09.2010 को वन विभाग, उत्तराखण्ड में वन संरक्षण से जुड़े अधिकारी और वन कर्मियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" दिये जाने के सम्बन्ध में की गयी घोषणा के कम में दिनांक 20-12-2010 एवं 07-01-2011 को प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा प्रेषित सुझावों का संज्ञान भी लिया गया।

दिनांक 20-12-2010-

1. श्रीमती रेखा पै, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून (सदस्य सचिव)
2. श्री राकेश शाह, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री परमजीत सिंह, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन वन्य जीव सुरक्षा एवं आसूचना, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

दिनांक 07-01-2011-

1. श्रीमती रेखा पै, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून (सदस्य सचिव)
2. श्री एस0सी0पन्त, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. श्री एस0एम0 जोशी, वन संरक्षक, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

1- सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। उनके द्वारा उपस्थित अधिकारियों को बैठक के उद्देश्यों के संबंध में विस्तार से बताया गया तथा चर्चा की गयी कि **"आउट ऑफ टर्न प्रमोशन"** की कार्यवाही किस स्तर तक के कार्मिकों हेतु किया जाना उचित होगा एवं इस हेतु निर्धारित मापदण्ड (Parameters) क्या होने चाहिए ?

2- बैठक में सर्वसम्मति से मत प्रकट किया गया कि केवल फील्ड कार्मिकों के प्रकरणों पर ही "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" हेतु विचार किया जाना उचित होगा तथा अधिकतम उप वन क्षेत्राधिकारी स्तर तक के कार्मिकों को ही इस हेतु पात्र मानना उचित होगा। चूँकि सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" से सम्बन्धित कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है, अतः "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की राय प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है। कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख करने पर सहमति व्यक्त की गयी-

(i) **"आउट ऑफ टर्न प्रमोशन"** दिये जाने हेतु मापदण्डों (Parameters) के निर्धारण हेतु समिति का प्रस्ताव है कि निम्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाले कार्मिक को ही "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" के लिये पात्र मानना उचित होगा–

(अ) वन भूमि की अतिक्रमण से सुरक्षा।

(ब) मानव वन्यजीव संघर्ष में असाधारण कार्य।

(स) खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन।

(अ) वन भूमि की अतिक्रमण से सुरक्षा :–

इस कार्य का निम्न प्रकार दो भागों में आंकलन किया जायेगा–

(I) **वन भूमि पर किये जाने/हो रहे अतिकमण का प्रयास विफल करना :**–इस सम्बन्ध में एक केस हेतु कम से कम 25 हे0 वन भूमि पर किये जाने/हो रहे अतिकमण के प्रयास को विफल करने की कार्यवाही का संज्ञान लिया जायेगा। साथ ही आवश्यक है कि अतिकमण का प्रयास कई व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से गिरोहबन्द होकर किया जा रहा हो, जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य होने चाहिए तथा प्रिन्ट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया आदि में भी सम्बन्धित केस को बहुप्रचारित होना चाहिए।

(II) **वन भूमि पर हुये पुराने अतिकमण को खाली कराना :**–इस सम्बन्ध में एक केस हेतु कम से कम 25 हे0 वन भूमि पर हुये अतिकमण को खाली कराने का ही संज्ञान लिया जायेगा। सम्बन्धित केस व की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य होने चाहिए।

उपरोक्त दोनों मामलों अ **(I)** व अ **(II)** में आवश्यक होगा कि अतिकमण रोकने/खाली कराने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा स्वयं पहल कर की गई हो न कि किसी न्यायालय/उच्चाधिकारी/अन्य आदेशों के अनुपालन में।

(ब) मानव–वन्यजीव संघर्ष में असाधारण कार्य:–

संबंधित कार्मिक द्वारा हाथी (Elephant), बाघ (Tiger), गुलदार(Leopard) व भालू (Bear) के द्वारा किसी क्षेत्र में निरन्तर की जा रही जानमाल की क्षति को असाधारण प्रयासों के द्वारा रोका गया हो तथा इस कार्यवाही में संबंधित वन्य जीव को किसी प्रकार की क्षति न पहुँची हो। संबंधित कार्मिक के द्वारा किये गये प्रयास व संबंधित वन्य जीव द्वारा जानमाल को पहुँचाई गई क्षति का विवरण अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

(स) खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन:–

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ओपन प्रतियोगिताओं में पदक विजेता कार्मिक को इस क्षेत्र में **"आउट ऑफ टर्न प्रमोशन"** हेतु पात्र मानना उचित होगा।

(ii) उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त वन एवं वानिकी से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में भी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए विलक्षण गुणों का प्रदर्शन कर असाधारण परिस्थितियों में जन सामान्य या सहकर्मियों के जीवन की रक्षा करने वाले कार्मिकों को भी "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" हेतु पात्र मानना उचित होगा।

(iii) "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" की कार्यवाही में निम्न व्यवस्थाएं होनी आवश्यक प्रतीत होती हैं–

(अ)– "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" के पश्चात अगले संवर्ग में कार्मिक की तैनाती पूर्णतया तदर्थ (ad hoc) आधार पर होनी चाहिए।

(ब)– "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" की कार्यवाही हेतु किसी भी केस को शासन को अग्रसारित किये जाने से पूर्व केस को एक उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इस समिति का अध्यक्ष कम से कम अपर प्रमुख वन संरक्षक स्तरीय अधिकारी होगा। इस समिति में उत्तराखण्ड शासन स्तर से क्रमशः वन विभाग एवं कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि जो कम से कम अपर सचिव स्तर के होंगे, का होना आवश्यक होगा।

(स)– प्रकरण नैत्यिक (routine) रूप से प्रस्तुत न किये जायें अपितु अत्यन्त उपयुक्त असाधारण प्रकरणों (Rare Cases) में ही Case to Case आधार पर विचार हेतु रखे जायें।

3– उपस्थित सदस्यों द्वारा मत प्रकट किया गया कि "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन" के प्राविधान का किसी प्रकार का दुरूपयोग रोकने हेतु इसके स्थान पर उपरोक्त क्रम सं0 2 में वर्णित मापदंडों के आधार पर योग्य कार्मिक को "वन सेवा पदक" दिये जाने का प्राविधान किया जा सकता है।

4– समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से मत प्रकट किया गया कि समिति द्वारा दिये गये सुझावों को वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा निश्चित समय में तथ्यात्मक टिप्पणी देने हेतु वन विभाग की Website पर डालना उचित होगा।

बैठक के अन्त में समिति के सदस्य सचिव द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया गया।

(वीना सेखरी)
अध्यक्ष/प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(रेखा पै)
सदस्य सचिव/मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(एस0सी0 पंत)
सदस्य/मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(डा0 राकेश शाह)
सदस्य/मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डी0वी0एस0 खाती)
सदस्य/मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

(परमजीत सिंह)
सदस्य/मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन वन्य जीव सुरक्षा एवं आसूचना,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(एस0एम0 जोशी),
वन संरक्षक, मुख्यालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।